

420

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त स्पष्ट होता है कि वर्तमान वाद की वैधानिक अवधि एक वर्ष बीच चुकी है। उभय पक्ष की ओर से या संबंधित धाना प्रभारी से शांति भंग होने संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः वर्तमान वाद समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं सशोधित।

23/12/2022
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
गोड्डा।

23/12/2022
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
गोड्डा।